



RAMGARH NAGAR PARISHAD

रामगढ़ नगर परिषद



Home	Acts & Circular	MIS APK	WEB APK (N)	Citizen APK	MIS Report	Help
------	-----------------	---------	-------------	-------------	------------	------

Property Details

[Back](#)

Basic Details

Ward No	: 29	Holding No	: 0290000519000M0
Address	: KOTHAR KAITHA RAMGARH	Entry Type	: Mutation
Concession Category	: Female	Ownership Type	: Individual
Is Slum	: No	Apply Date	: 20-04-2024
Memo No	: 1022059060524093459	Order Date	: 06-05-2024
Old Holding No.	: 0290000455000M0	Property Type	: Vacant Land

Village/Mauja	: KOTHAR KAITHA RAMGARH	Khata No.	: 22
Plot No.	: 962	Total Area	: 4.32 Decimal
Water Harvesting	: No	Road Type	: 40 ft. and Above

Owner Details

Sl. No	Owner Name	Gender	Guardian's Name	R/W Guardian	DOB	Contact No.
1	POONAM DEVI	Female	SUJIT KUMAR	W/O	01-01-1991	8603852375

Floor Details

Floor No	Use Type	Occupancy Type	Construction Type	Built Up Area (in Sq. Ft)	Carpet Area (in Sq. Ft)	Date of Completion (mm-yyyy)

Tax Details

SI No.	ARV	Effect From	Holding Tax	Water Tax	Conservancy/Latrine Tax	Education Cess	Health Cess	Lighting Tax	Quarterly Tax
1	0	2 / 2023-2024	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00

Due Details

No Dues

RAMGARH NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 1022059060524093459

Date : 06-05-2024

प्रभावी : द्वितीय तिमाही 2023-2024

श्री/श्रीमती/सुश्री POONAM DEVI W/O SUJIT KUMAR,
मोहल्ला KOTHAR KAITHA RAMGARH RAMGARH
RAMGARH , 829122
8603852375

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं० - 0290000519000M0 वार्ड सं० 29 हुआ है, आपके स्व० निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- ₹० निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	131.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		131.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

- कर निर्धारण की सूची, RAMGARH NAGAR PARISHAD Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
- किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- RAMGARH NAGAR PARISHAD द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/ढांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होल्लिंग नं० का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Print